यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0 104/22

तारीख दायरा 18.07.2022

तारीख फैसला 20.1.23

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

रामप्यारी बाई उर्फ रामबाई पत्नी स्व0 इन्द्रराज जाति मीणा निवासी बूढादीत तहसील दीगाद (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री भारत शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम सनीजाबावडी तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 59 रकबा 2.61 है0, 70 रकबा 2.85 है0, कुल किता 2 रकबा 5.46 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमि में वादनी का नाम रामबाई दर्ज है। यह कि वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम रामबाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम रामप्यारी बाई है जिसमें वादनी को सरकारी योजनाओं में किसान केडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि ग्राम बूढादीत तहसील दीगोद में स्थित खाता संख्या 55 नम्बर 1130/1355 रकबा 0.16 है0, 1329 रकबा 0.39 है0, 858 रकबा 0.63 है0 कुल किता 3 रकबा 1.18 है0 भूमि में वादनी का नाम रामप्यारी दर्ज है किन्तु सनीजाबावडी में स्थित आराजी में वादनी का नाम रामबाई दर्ज कर दिया गया है। यह कि उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी अंकतालिका आदि में वादनी का नाम रामप्यारी बाई है वादनी का नाम ग्राम सनीजाबावडी की जमाबन्दी में रामाबाई होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिये किसान केडिड कार्ड लेने से वंचित हो रही है। वादनी को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानून अधिकारी है। इस लिये वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि वादनी के कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 15.06.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया और मना कर दिया। जिस कारण वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि कि ग्राम सनीजाबावडी तहसील दीगोद में वादनी के लाती खाते में खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 59 रकबा 2.61 है0, 70 रकबा 2.85 है0, कुल किता 2 कबा 5.46 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रामबाई के स्थान पर रामप्यारी दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में ग्राम सनीजाबावडी तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 59 रकबा 2.61 है0, 70 रकबा 2.85 है0, कुल किता 2 रकबा 5.46 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रामबाई के स्थान पर रामप्यारी दर्ज किये जाने किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सनीजाबावडी तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 59 रकबा 2.61 है0, 70 रकबा 2.85 है0, कुल किता 2 रकबा 5.46 है0 भूमि में वादनी का नाम रामबाई के स्थान पर रामबाई उर्फ रामप्यारी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.1.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

(1)

डिकी मुकदमा

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

रामप्यारी बाई उर्फ रामबाई पत्नी स्व0 इन्द्रराज जाति मीणा निवासी बूढादीत तहसील दीगाद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री भारत शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती</u>

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम सनीजाबावडी तहसील दीगोद में वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 59 रकबा 2.61 है0, 70 रकबा 2.85 है0, कुल किता 2 रकबा 5.46 है0 भूमि में वादनी का नाम रामबाई के स्थान पर रामबाई उर्फ रामप्यारी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद